2501
13-8-19

शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण
संख्या-640/78-1-2019-45आईटी/2016

प्रेषक,

आलोक सिन्हा
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4 प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 09 अगस्त, 2019

विषयः "राइट ऑफ वे" अनुमतियों के लिए आवेदन हेतु आन लाइन पोर्टल ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-423/78-1-2019-45आईटी/2016 दिनांक 04 जून 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपके विभाग/कार्यालय में उक्त प्रयोजन हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जाने का आग्रह किया गया था।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि अद्यतन 75 जनपदों में से मात्र 41 जनपदों में नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं, तथा शेष जनपदों में नोडल अधिकारी नामित किया जाना अभी तक अपेक्षित है।

3- "राइट ऑफ वे" अनुमतियों के प्रकरण में जैसाकि आप अवगत हैं, देश में दूरसंचार के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना एवं विकास के लिए समयबद्ध रूप से, राइट ऑफ वे अनुमोदन प्रदान किये जाने हेतु संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 नवम्बर 2016 को "इण्डियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016" निर्गत किये गये हैं तथा उक्त अधिसूचना को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों इत्यादि द्वारा एकरूपता के आधार पर अंगीकृत किए जाने हेतु आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या-852/78-1-2018-45आईटी/2016 दिनांक 15 जून 2018 निर्गत किया गया है।

4- भारत सरकार द्वारा निर्गत राइट ऑफ वे रूल्स तथा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उ0प्र0 के शासनादेश में विहित व्यवस्था के अनुरूप, शासकीय विभागों/ प्राधिकरणों/संस्थाओं/समितियों इत्यादि द्वारा मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए भूमिगत तार और संरचना तथा भूमि के ऊपर तार अवसंरचना/मोबाईल टावर की स्थापना एवं रख रखाव के लिए अनुमतियों/अनापत्तियों हेतु ऑन लाईन आवेदन प्रक्रिया के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल **www.uprow.in** बनाया गया है, जिस पर सेवा-प्रदाताओं तथा आवेदनकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जा सकेंगे। इस ऑनलाइन पोर्टल का शुभारम्भ माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं मन्त्री, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 14 जून 2019 को किया गया है, जिसमें विभिन्न जनपदों के प्रतिनिधियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया था।

उप महाप्रबन्धक

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऑनलाइन पोर्टल के शुभारम्भ के अवसर पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आग्रह किया गया है कि "राइट ऑफ़ वे" अनुमतियों हेतु प्राप्त आवेदनों पर जो भी पृच्छायें हों उन्हें जनपदीय एवं विभागों के नोडल अधिकारियों द्वारा एक ही बार में तथा आवेदन की तिथि से 7 दिनों की अवधि में मांग लिया जाये तथा आवेदनों का निस्तारण, प्रत्येक दशा में, 45 दिन की निर्धारित अवधि में सुनिश्चित किया जाये।

6- अतएव अनुरोध है कि कृपया भूमिगत तार और संरचना तथा भूमि के ऊपर तार अवसंरचना/मोबाईल टावर की स्थापना एवं रख रखाव के लिए अनुमतियों/अनापत्तियों हेतु ऑनलाइन पोर्टल **www.uprow.in** पर प्राप्त आवेदनों का एकरूपता के आधार पर समयबद्ध रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।

7- पुनः ऑन लाईन आवेदनों के लिए यदि आपके विभाग/कार्यालय द्वारा अभी तक नोडल अधिकारी नामित न किये गये हों तो उन्हें नामित करते हुए उनका नाम, मोबाइल नॅ0, ई-मेल पता इत्यादि विवरण यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को तत्काल उपलब्ध करवाने कष्ट करें, जिससेकि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण रूप से कार्यरत किया जा सके।

8- मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों से आग्रह है कि वे अपने स्तर से सुनिश्चित कर लें कि उनके अधीनस्थ जनपदों में नगर निगम/महापालिका, जिला परिषदों, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, प्रादेशिक राजमार्ग प्राधिकरण, नगरीय विकास अभिकरण, वन एवं वन्यजीव विभाग, राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा निश्चित रूप से नोडल अधिकारी नामित कर दिये जायें, जिनके द्वारा सम्बन्धित जनपद में उक्त प्रयोजन हेतु प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा।

9- सम्भवतः प्रदेश के विभिन्न नगर निकायों/निगमों/पंचायतों/विकास प्राधिकरणो/ औद्योगिक विकास प्राधिकरणों इत्यादि में मोबाइल टावर्स की स्थापना तथा भूमिगत केबिल बिछाये जाने हेतु स्वतन्त्र रूप से भिन्न-भिन्न गाइडलाइन्स हों, जिसके अन्तर्गत विभिन्न शुल्क भी प्रभारित किये जाते हों। एकरूपता के आधार पर राइट ऑफ वे दिशा निर्देश निर्गत हो जाने के उपरान्त प्रदेश में यह भी एक समान हो जायेंगे। कृपया अपने अधीनस्थ विभागों/संस्थाओं आदि को इस हेतु भी अवगत करा दें।

भवदीय,

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-640 (1)/78-1-2019/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 समाज कल्याण आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4 प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 ।
5 प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
6 प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
7 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज बहादुर)
उप सचिव